न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 3235/विधि सहरसा, दिनांक 04-11-2023

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-85/2021 में दिनांक-31.10.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-03/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-2 पृ0 एवं अन्य कागजात-138 पृ0) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- यस्मिता कुमारी चौधरी, पति-नन्दू कुमार / रेशमा रानी, पति-टूनटून साह, सभी सा0-ग्वालपाड़ा, वार्ड नं0-05, प्रखंड-ग्वलपाड़ा, पंचायत-ग्वलपाड़ा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

... आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी यस्मिता कुमारी चौधरी का चयन रद्द कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह वाद लाया गया है।

सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवालोकन किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत प्रखंड-ग्वालपाड़ा के ग्राम पंचायत ग्वालपाड़ा, वार्ड न0-05 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-01 के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। उक्त आँगनबाड़ी केंद्र का बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग निर्धारित की गयी। अपीलार्थी सहित 11 उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक 24.06.2019 को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ,

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., स0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद सं0-85/2021

यस्मिता कुमारी चौधरी.....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-: आदेश :-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद श्रीमती यस्मिता कुमारी चौधरी, पति-नन्दू कुमार, साकिन-ग्वालपाड़ा पंचायत-ग्वालपाड़ा, वार्ड न0-05, प्रखंड- ग्वालपाड़ा, जिला-मधेपुरा द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के न्यायालय में वाद सं0-03/2021 में पारित आदेश जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा वाद सं0-01/2020 में दिनांक-07.12.2020 को पारित आदेश को खारिज करते हुए अपीलार्थी यस्मिता कुमारी चौधरी का चयन रद्द कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह वाद लाया गया है।

सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवालोकन किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत प्रखंड-ग्वालपाड़ा के ग्राम पंचायत ग्वालपाड़ा, वार्ड न0-05 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-01 के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। उक्त आँगनबाड़ी केंद्र का बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग निर्धारित की गयी। अपीलार्थी सहित 11 उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक 24.06.2019 को औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन हुआ,

जिसमें अपीलार्थी 77.33 प्रतिशत अंक के साथ प्रथम स्थान पर है। औपबंधिक मेधा सूची के उपरांत टंकण भूलवश अपीलार्थी के आवेदन पत्र में जाति के कॉलम में पिछड़ा वर्ग दर्ज हो गया, जबकि अपीलार्थी का जाति प्रमाण-पत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। टंकण भूल के सुधार हेतु अपीलार्थी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्लवाड़ा को आवेदन समर्पित कर टंकण भूल सुधार का आग्रह किया गया, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के जाति में सुधार कर दिए। तत्पश्चात दिनांक 14.02.2020 को वार्ड सं0-05 के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक महिला पर्यवेक्षिका, सदस्य सचिव चयन समिति की उपस्थिति में एवं पोषक क्षेत्र की जनता के समक्ष आम सभा की बैठक आयोजित की गयी एवं सभी अभ्यर्थी के आवेदन एवं मूल प्रमाण-पत्र आदि के जाँचोपरांत सर्वोच्च मेधा अंकधारी यस्मिता कुमारी चौधरी का चयन सर्वसम्मति से मार्गदर्शन के अनुरूप किया गया व आमसभा में चयन पत्र निर्गत किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा सही ढंग से केंद्र का संचालन किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से विपक्षी रेशमा रानी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा के समक्ष वाद सं0-01/2020 दाखिल किया गया, उक्त वाद में पत्रांक-01 दिनांक-08.01.2021 को आदेश परित करते हुए अपीलार्थी का चयन को सम्पुष्ट करते हुए वाद को खारिज किया गया। तत्पश्चात विपक्षी रेशमा रानी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के यहाँ वाद सं0-03/21 लाया गया, जिसमें अपीलार्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं होने से आवेदन में पिछड़ा वर्ग अंकित रहने एवं नेपाल की विदेशी महिला होने का आधार बनाया गया। उक्त के आलोक में अपीलार्थी द्वारा सारा साक्ष्य पेश करने के बावजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अपीलार्थी के चयन को रद्द करने का आदेश पारित किया गया।

श्रीमान् के न्यायालय में निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा लगाये गये आरोपों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहना है कि टंकण

हेतु समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया गया है वह भी बिहार समेकित बाल विकास सेवाएँ के द्वारा प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन में मैट्रिक प्रमाण-पत्र उडीसा स्टेट ओपेन स्कूल, उडीसा का संलग्न किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएँ, बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की जो सूची जारी की गई है उसमें इस संस्थान का नाम नहीं है साथ ही भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा भी उस संस्थान को मान्यता प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का यह कथन है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत ग्वालपाड़ा में शादी होने के कारण स्वतः भारतीय नागरिक बन चुकी है पूर्णतः गलत है। संविधान में भारतीय नागरिक किसे माना जाएगा तथा विदेशी नागरिक को किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है स्पष्ट नियम निर्धारित है। विदित हो कि इसी प्रकार का एक मामला नेपाली नागरिक किरण गुप्ता, पति- अशोक प्रसाद गुप्ता, सा0-उत्तरी पंचायत मानिक चौक, वार्ड नं0-10 रून्नी सैदपुरी, जिला-सीतामढ़ी जो मूलतः नेपाल की जन्म से नागरिक थी दिनांक 18.06.2023 को अशोक कुमार गुप्ता से शादी के बाद उक्त पंचायत आ गई। यहाँ मतदाता सूची, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि सभी उपलब्ध हो गया और नेपाल की नागरिकता 2016 में लगाने का प्रमाण पत्र दिया एवं मुखिया पद की उम्मीदवार बनी और चुनाव जीती। उक्त चुनाव के विरूद्ध चुनाव आयोग बिहार में आवेदन दिया गया, तत्पश्चात अयोग्य ठहराया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष' CWJC-19/08/19 दाखिल किया गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी 21/01/2020 को स्वतः नागरिकता पाने के अधिकार को अवैध घोषित किया। माननीय उच्च न्यायालय में L.P.A. वाद सं0-139/20 दाखिल किया गया, जो खारिज करते हुए दिनांक 21/01/2020 के निर्णय को सही पाया गया। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार पटना के आरक्षण संबंधित दिशा-निर्देश के आलोक में शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेकित बाल विकास सेवाएँ बिहार द्वारा जारी सूची के बाहर का होना अपीलार्थी के दावे को खारिज योग्य माना जाय और निम्न न्यायालय को आदेश को बरकरार रखा जाय।

उभय पक्ष के दलील अवलोकन उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि वादी

द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करने संबंधी प्रमाण–पत्र एवं योग्यता प्रमाण–पत्र समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS), बिहार के द्वारा मान्यता प्राप्त होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश सम्पुष्ट करते हुए वादी के आवेदन को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

31/10/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।